2

लोक वित्त, बैंकिंग एवं ऋण, वित्तीय समावेश तथा आबकारी एवं कराधान

हरियाणा राज्य राजकोषीय सुधार करने और अपना राजकोषीय प्रबन्धन करने के हिसाब से देशभर में प्रथम स्थान पर है। लोक वित्त का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन लोगों से कर संग्रहण करना है जो सार्वजनिक माल के उपयोग का लाभ लेते हैं और उस संग्रह किए गए कर का सार्वजनिक माल के निर्माण व वितरण की दिशा में उपयोग करते हैं। संसाधन निर्माण, संसाधन वितरण एवं व्यय प्रबन्धन (संसाधन उपयोग) लोक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। लोक वित्त के दायरे में नामतः तीन घटक सम्मिलित हैं; संसाधनों का कुशल वितरण, आय का वितरण तथा समष्टि अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण।

2.2 राज्य के राजकोषीय मापदंड जैसे कि राजकोषीय घाटा और ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) अनुपात जोकि केन्द्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत आता है, जो विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है। वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य अपने राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.99 प्रतिशत तक रखने में सक्षम रहा, जो केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी कम है। इस प्रकार वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों के अनुसार ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 32.6 प्रतिशत के निर्धारित मानक से नीचे 24.98 प्रतिशत पर बनाये रखा गया है। वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.98 प्रतिशत पर अनुमानित किया गया है जो केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है।

राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय

2.3 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक राज्य की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय को **आकृति 2.1** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। राजस्व प्राप्तियाँ राज्य के स्वयं के कर व गैर कर राजस्व के रूप में, केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी तथा केन्द्रीय सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। वर्ष 2022–23 बजट अनुमानों के अनुसार, हरियाणा सरकार के व्यय 1,16,198.63 करोड़ रूपये के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियाँ 1,06,424.70 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2021–22 (स.अ.), में 92,595.78 करोड़ रूपये रही जबकि इसी अवधि में राजस्व व्यय 1,05,118.91 करोड़ रूपये था। वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ 71,913.01 करोड़ रूपये थी जबकि इसी अवधि में व्यय 89,946.60 करोड़ रूपये था।

आकृति 2.1– राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

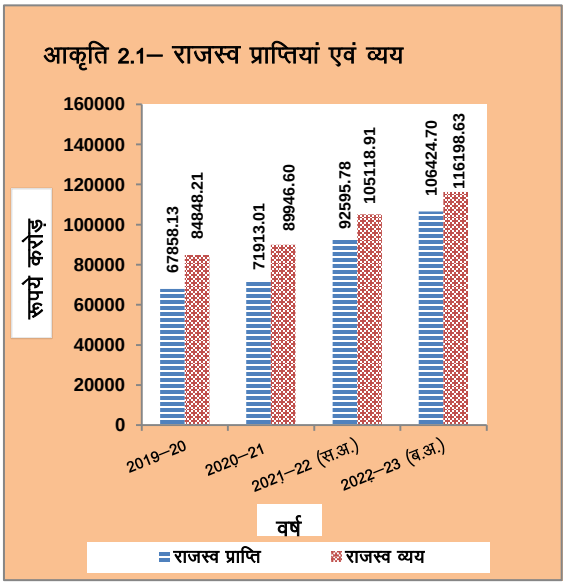

कुल कर

2.4 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक करों की स्थिति **तालिका 2.1** में दी गई है। कुल कर में (i) राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ. टी.आर.) तथा (ii) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा (एस.सी.टी.) शामिल है। राज्य का ओ.टी. आर. 2019–20 में 42,824.95 करोड़ रूपये से बढ़कर 2022–23 (ब.अ.) में 73,727.50 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि राज्य के एस. सी.टी. के 2019–20 में 7,111.53 करोड़ रूपये से बढ़कर 2022–23 (ब.अ.) में 8,925.98 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। कुल कर राजस्व जिसमें ओ.टी.आर. तथा एस.सी.टी. दोनों शामिल है, वर्ष 2019–20 में 49,936.48 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 82,653.48 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

स्वयं कर राजस्व

2.5 स्वयं कर में बिक्री कर से कर राजस्व में योगदान वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 14,099.50 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 12,140 करोड़ रूपये था। वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में बिक्री कर में 16.14 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से कर राजस्व में योगदान 32,825 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 32,359.10 करोड़ रूपये था जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) से वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 1.44 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में राज्य उत्पाद शुल्क से कर राजस्व में योगदान 12,030 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स. अ.) में 8,710 करोड़ रूपये था, जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) से वर्ष 2022–23 में 38.12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है। स्टाम्प व पंजीकरण से वर्ष 2022–23 (ब.अ) में 9,720.00 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में इस मद से 8,100 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी **(अनुलग्नक 2.1)**।

केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी

2.6 केन्द्र से हस्तान्तरण मुख्यतया केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, केन्द्रीय वित्त आयोग के पुरस्कार के तहत अनुदान व अन्य अनुदान के रूप में होती है। राज्य में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी से कुल सम्भावित प्राप्तियां 8,925.98 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 8,682.92 करोड़ रूपये थी जोकि यह दर्शाता है कि केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में 2.80 प्रतिशत की वृद्वि अनुमानित है।

सहायता अनुदान

2.7 राज्य में सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। केन्द्रीय करों से प्राप्त सराहनीय राशि के अतिरिक्त वित्त आयोग ने राज्यों को विशेष प्रयोजन हेतु सहायता अनुदान की भी सिफारिश की है। राज्य को वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 11,565.86 करोड़ रूपये सहायता अनुदान के रूप में प्राप्ति का अनुमान है, जबकि इसी मद में वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह राशि 9,694.66 करोड़ रूपये थी। इस प्रकार वर्ष 2021–22 (स. अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में सहायता अनुदान राशि में 19.30 प्रतिशत की वृद्वि की सम्भावना है।

तालिका 2.1– राज्य की कर स्थिति **(करोड़ रूपये में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं कर राजस्व (ओ.टी.आर.)	केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी (एस.सी.टी.)	कुल कर
2019–20	42824.95	7111.53	49936.48
2020–21	46265.80	6437.59	52703.39
2021–22 (स.अ.)	64991.61	8682.92	73674.53
2022–23 (ब.अ.)	73727.50	8925.98	82653.48

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत व्यय

पूंजीगत प्राप्तियाँ

2.8 वर्ष 2019–20 से 2022–23 (ब.अ.) तक राज्य की पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय को **आकृति 2.2** तथा **अनुलग्नक 2.1 व 2.2** में दर्शाया गया है। पूंजी प्राप्तियों को तीन भागों में बांटा जाता है नामतः (1) ऋणों की वसूली (2) विविध पूंजी प्राप्तियाँ एवं (3) उधार तथा अन्य ऋण। पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 35,779.08 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 32,626.89 करोड़ रूपये थी जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 9.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.2–केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्राप्त राशि
2019–20	10521.91
2020–21	12248.13
2021–22 (स.अ.)	9694.66
2022–23 (ब.अ.)	11565.86

स.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

प्राप्ति स्थानः राज्य बजट डाक्यूमेंट

पूंजीगत व्यय

2.9 पूंजीगत व्यय में पूंजी परिव्यय एवं उधार ऋण (ऋण और अग्रिम के संवितरण) सम्मिलित होते हैं तथा पूंजीगत व्यय का सम्बन्ध सम्पति निर्माण से है। राज्य का पूंजी व्यय वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 26,005.15 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 20,103.76 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.2)**।

2.10 कुल विकासात्मक व्यय जिसमें सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा एवं जन–स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, श्रम व रोजगार इत्यादि व आर्थिक सेवाएं जैसे कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, बिजली, उद्योग, परिवहन, ग्रामीण विकास इत्यादि पर खर्च सम्मिलित हैं, में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में विकासात्मक व्यय 95,793.28 करोड़ रूपये होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में यह 84,016.02 करोड़ रूपये था, जोकि 14.02 प्रतिशत की वृद्धि इंगित करता है।

2.11 कुल गैर–विकासात्मक व्यय जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, सरकार के अंग, वित्तीय सेवाएं, ब्याज भुगतान, पैंशन व विविध सामान्य सेवाएं सम्मिलित है, पर वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में व्यय का अनुमान 46,410.50 करोड़ रूपये है, जो कि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 41,206.65 करोड़ रूपये था। कुल गैर–विकासात्मक व्यय में वर्ष 2021–22 (स.अ.) की तुलना में वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 12.63 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।

वित्तीय स्थिति

2.12 राजस्व खाते में वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 12,523.13 करोड़ रूपये घाटे के विरूद्व वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 9,773.93 करोड़ रूपये के घाटे का अनुमान है। वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि की निवल जमा में 1,081.20 करोड़ रूपये का अधिशेष अनुमानित है, जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 1,020.80 करोड़ रूपये था **(अनुलग्नक 2.3)**।

आकृति 2.2– पूंजीगत प्राप्तियां एवं व्यय

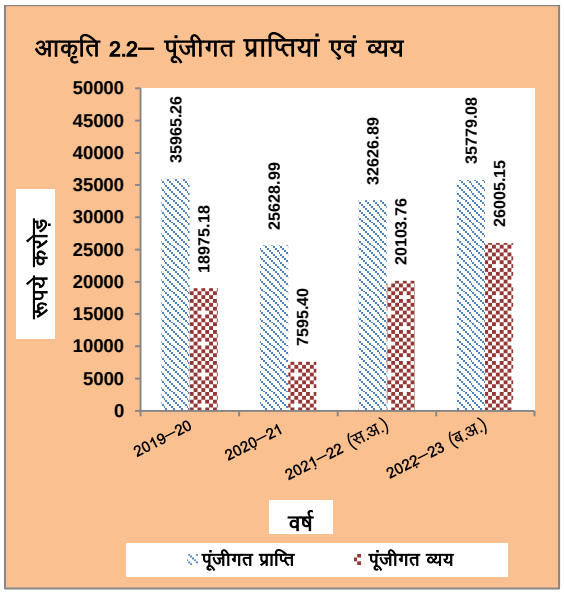

आर्थिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य सरकार का बजट व्यय

2.13 सरकार के बजट में आम तौर पर व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है, ताकि उस पर वैधानिक नियन्त्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेयी हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा–परीक्षण हो सके। सरकारी बजटीय लेन–देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों जैसे उपभोग व्यय, पूंजीनिर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये, इसीलिये इसे चुनने, पुनः वर्गीकृत करने तथा पुनः श्रेणियों में बांटने का कार्य किया जाता है। मोटे तौर पर बजट को प्रशासनिक विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में बांटा जाता है। प्रशासकीय विभाग सरकारी एजैन्सी हैं जो सरकार की सामाजिक तथा आर्थिक नीतियों को लागू करती हैं जबकि विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम अन–इनकारपोरेटिड उद्यम है जिन पर सरकार का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है तथा यह सीधे तौर पर सरकार द्वारा चलाये जाते हैं।

2.14 बजट का आर्थिक वर्गीकरण जो बजटीय लेन–देन को अर्थ–पूर्ण आर्थिक श्रेणी में बांटता है, के अनुसार 2022–23 (ब.अ.) में कुल व्यय 1,35,455.95 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 1,20,384. 20 करोड़ रूपये था जोकि 12.52 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है **(अनुलग्नक 2.4)**।

2.15 राज्य सरकार का उपभोग व्यय वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 50,599.28 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि यह वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 42,705.94 करोड़ रूपये था। उपभोग व्यय में 2022–23 (ब.अ.) में वर्ष 2021–22 (स.अ.) से 18.48 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

2.16 राज्य सरकार की सकल पूंजी निर्माण यानि भवन, सड़कें तथा अन्य निर्माण, वाहन, मशीनरी तथा उपकरण की खरीद पर प्रशासकीय विभागों तथा विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निवेश वर्ष 2022–23 (ब.अ.) में 21,252.15 करोड़ रूपये अनुमानित है जबकि वर्ष 2021–22 (स.अ.) में 13,717 करोड़ रूपये था। सकल पूंजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य सरकार अर्थ व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में पूंजी हस्तान्तरण, कर्जे एवं अग्रिम तथा वित्तीय परिसम्पतियों की खरीद के द्वारा भी पूंजी निर्माण करती है।

संस्थागत वित्त

2.17 संस्थागत वित्त किसी भी प्रकार के विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों को अधिक महत्व देने के लिए बैंकिंग संस्थाओं को राजी करना है। वाणिज्यक बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य अवधि ऋण संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाकर राज्य के बजटीय संसाधनों के भार को कम करता है।

2.18 राज्य में सितम्बर, 2022 तक वाणिज्यक बैंकों (सी.बी.एस.) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) की शाखाओं की कुल संख्या 4,918 थी। वाणिज्यक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशि सितम्बर, 2022 तक बढकर 6,00,018 करोड़ रूपये हो गई। इस प्रकार राज्य सितम्बर, 2022 में अग्रिम ऋण की राशि भी को बढ़कर 4,31,933 करोड़ रूपये हो गई थी। ऋण–जमा (सी.डी.) अनुपात राज्य के आर्थिक विकास के लिये क्रेडिट प्रवाह का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। राज्य में ऋण–जमा अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 66 प्रतिशत की तुलना में सितम्बर, 2022 में थोड़ा बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया है।

राज्य वार्षिक ऋण योजना

2.19 चालू वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत 74,389 करोड़ रूपये के ऋण देने का लक्ष्य है। गत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में सितम्बर, 2022 तक के लक्ष्य में 0.52 प्रतिशत की कमी की गई है। राज्य की वार्षिक ऋण योजना की 2022–23 के अन्तर्गत सितम्बर, 2022 तक कुल उपलब्धि 82,751 करोड़ रूपये

रही जो कि 74,389 करोड रूपये के वार्षिक लक्ष्य का 111 प्रतिशत था (**तालिका–2.3**)।

2.20 बैंकों का कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण देने का प्रदर्शन संतोषजनक है। वार्षिक लक्ष्य 45,093 करोड़ रूपये के विरूद्ध इनकी उपलब्धि सितम्बर, 2022 तक 43,699 करोड़ रूपये थी जो वार्षिक लक्ष्य का 97 प्रतिशत है। बैंकों ने इन उद्योगों के लिए 20,700 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 32,973 करोड़ रूपये के ऋण जारी किए गए जोकि लक्ष्य का 159 प्रतिशत है जोकि एक अद्वितीय उपलब्धि है। अन्य प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों ने 8,596 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 6,079 करोड़ रूपये जारी किए जो वार्षिक लक्ष्य का 71 प्रतिशत है।

वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंकवार उपलब्धि

2.21 राज्य की वार्षिक ऋण योजना 2022–23 के अन्तर्गत वाणिज्यक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने सितम्बर, 2022 तक 74,761 करोड़ रूपये के ऋण दिये जबकि लक्ष्य 65,170 करोड़ रूपये था, जोकि लक्ष्य का 114 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में इन बैंको द्वारा दिया गया ऋण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

2.22 वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र के अन्तर्गत सर्वाधिक 36,616 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये। उसके बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र के अन्तर्गत 32,784 करोड़ और अन्य प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत 5,361 करोड़ रूपये के ऋण दिये गये। फिर भी लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि की प्रतिशतता के मामले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में सबसे अधिक 164 प्रतिशत, कृषि एवं सहबद्व क्षेत्र में 99 प्रतिशत और इसके बाद अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 65.5 प्रतिशत रही।

सहकारी बैंक

2.23 सितम्बर, 2022 तक हरियाणा राज्य सहकारी बैंकों ने 8,421 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्ध 7,851 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 93 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.5** में दिया गया है।

तालिका 2.3– हरियाणा की वार्षिक ऋण योजना 2022–23

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	45093.00	43699.00	97
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	20700.00	32973.00	159
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8596.00	6079.00	71
कुल	**74389.00**	**82751.00**	**111**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.4– हरियाणा में वर्ष 2022–23 में वाणिज्यक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	37028.00	36616.00	99
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	19951.00	32784.00	164
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	8191.00	5361.00	65.5
कुल	**65170.00**	**74761.00**	**114.72**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.5– हरियाणा में वर्ष 2022–23 में सहकारी बैंकों द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	7659.00	7015.00	92
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	389.00	132.00	34
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	373.00	704.00	189
कुल	**8421.00**	**7851.00**	**93**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.6– वर्ष 2022–23 में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	399.00	69.00	17
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	26.00	10.00	38
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	29.00	2.00	7
कुल	**455.00**	**81.00**	**18**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

तालिका 2.7– वर्ष 2022–23 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किया गया संवितरण

(करोड़ रूपये में)

क्षेत्र	अनुपातिक लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां (30–9–2022 तक)	प्रतिशत उपलब्धियां
कृषि एवं सहबद्व	0.00	0.00	0
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	318.00	42.00	13
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	0.00	0.00	0
कुल	**318.00**	**42.00**	**13**

स्त्रोतः संयोजक बैंक, पंजाब नैंशनल बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.24 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी.) ने सितम्बर, 2022 तक 455 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्व 81 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 18 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार प्रदर्शन **तालिका 2.6** में दी गई है।

लघु उद्योग विकास बैंक

2.25 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सितम्बर, 2022 तक 318 करोड़ रूपये के लक्ष्य के विरूद्व केवल 42 करोड़ रूपये के ऋण प्रदान किये जो लक्ष्य का 13 प्रतिशत है। क्षेत्रवार ब्यौरा **तालिका 2.7** में दिया गया है।

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

2.26 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की स्थापना 1 नवम्बर, 1966 को हुई थी। बैंक की स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, अब इनकी संख्या बढकर 71 हो गई है। जिन्हें 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको में सम्मिलित कर दिया गया है और तहसील तथा उप–तहसील स्तर पर कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको की शाखाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.27 हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. ने 01–04–2022 से 31–12–2022 तक 6,377.57 लाख रूपये के ऋण वितरित किये है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की क्षेत्रवार उपलब्धियां **तालिका 2.8** में दर्शाई गई हैं।

2.28 बैंक ने 01–03–2019 से सभी परम उधारकर्ताओं से वसूल किये जाने वाले ब्याज की वार्षिक दर पुनः निर्धारित कर 13 प्रतिशत वार्षिक कर दी है। इससे पहले, यह ब्याज दर 13.50 प्रतिशत वार्षिक थी। जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों ने मुनाफा 1.75 प्रतिशत वार्षिक रखा जबकि हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने अपना मुनाफा 2.45 प्रतिशत वार्षिक रखा है।

तालिका 2.8–हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. की क्षेत्रवार उपलब्धियां

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	क्षेत्र व स्कीम	अनुमानित लक्ष्य वर्ष 2022–23	अग्रिम ऋण (01–04–22 से 31–12–22 तक)
1	लघु सिंचाई	6000	1822.45
2	कृषि मशीनीकरण	400	54.75
3	भूमि विकास	2000	929.35
4	डेयरी विकास पशुगृह	1100	487.55
5	बागवानी/कृषिवानिक	1500	434.50
6	ग्रामीण आवास योजना	800	692.65
7	गैर कृषि क्षेत्र	1800	1539.82
8	भूमि खरीदने हेतु	500	140.00
9	ग्रामीण भण्डारण	200	34.00
10	अन्य	700	242.50
	कुल	**15000**	**6377.57**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.।

2.29 वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण अदा करने के लिए ब्याज माफी योजना लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत 31–12–2009 तक 17,951 किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज माफी के रूप में 5.66 करोड़ रूपये के ब्याज में राहत प्रदान की गई है। इस योजना को 5 प्रतिशत ब्याज राहत के साथ आगे 31–03–2018 तक बढ़ा दिया गया था जिसमें 1,24,671 ऋणी किसानों को 82.38 करोड़ रूपये की राशि ब्याज राहत के रूप में 01–01–2010 से 24–08–2014 तक प्रदान की जा चुकी है। इस योजना में 25–08–2014 से ब्याज की दर सहमति से ब्याज में दिये जाने वाले फायदे को बढाकर 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक कर दिया था। इस योजना के तहत 25–08–2014 से 31–03–2022 तक लगभग 1,18,469 ऋणी किसानों को 95.82 करोड़ रूपये का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना को 31–03–2023 तक बढा दिया है।

2.30 एक मुश्त निपटान योजना (ओ.टी.एस.)–2022: यह एक मुश्त अदायगी योजना–2022 सरकार ने जिला प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए गैर निष्पादित सम्पत्तियों को कम करने और बैंक के कर्जदारों को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 03–08–2022 को एक मुश्त निपटान नीति–2022 शुरू की है, जो किन्हीं कारणों से अपने अतिदेय ऋण को चुकाने में सक्ष्म नहीं है। योजना की परिचालन अवधि 30 जून, 2023 तक होगी। इस योजना में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के उन ऋणी सदस्यों को शामिल किया जायेगा जिन्होंने 31 मार्च, 2022 तक किसी भी योजना के तहत ऋण लिया था तथा किन्हीं कारणों से अपने मूलधन और ब्याज की किश्तों का भुगतान नहीं कर सके। इस योजना के अन्तर्गत मृत कर्जारों को कानूनी उत्तराधिकारी/जमानतदार भी शामिल होंगे। यदि चूककर्ता ऋणी सदस्य 31–03–2022 को अपनी बकाया मूल राशि के साथ–साथ सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता का 50 प्रतिशत चुका देता है तो वह 50 प्रतिशत सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता की छूट प्राप्त करने का पात्र होगा। यदि चूककर्ता ऋण सदस्य का कानूनी उत्तराधिकारी 31–03–2022 तक अपनी कुल मूल बकाया राशि का भुगतान कर देता है तो वह सम्पूर्ण अतिदेय ब्याज देयता की शत–प्रतिशत छूट प्राप्त करने का पात्र होगा। इस योजना के अन्तर्गत 206.63 करोड़ रूप्ये की वसूली की जा चुकी है तथा दिनांक 30–08–2022 से 04–02–2023 तक 6,267 चूककर्ता ऋणियों को 93.94 करोड़ रूपये की ब्याज माफी (जो 82.52 करोड़ रूपये ब्याज माफी राज्य सरकार द्वारा वहन की गई तथा जुर्माना ब्याज माफी के 11.42 करोड़ रूपये बैंक द्वारा वहन किये जायेंगे)

2.31 राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं अनुदानः राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करने एंव नाबार्ड के प्रति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि. को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 (01–04–2022 से 31–12–2022) के दौरान राज्य सरकार ने 56 करोड़ रूपये के ऋण और अनुदान सहायता प्रदान की है। वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण **तालिका 2.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9–राज्य सरकार द्वारा एच.एस.सी.ए.आर.डी.बी. लि. को वित्तीय सहायता का वर्षवार विवरण

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
2017–18	150	100.00	250.00
2018–19	200	100.00	300.00
2019–20	100	100.00	200.00
2020–21	70	70.00	140.00
2021–22	75	84.25	159.25
2022–23 (01–04–2022 से 31–12–2022 तक)	**28**	**28**	**56.00**

स्त्रोतः हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

हरियाणा राज्य सहकारी अपैक्स बैंक लिमिटेड

2.32 लघु अवधि सहकारिता ऋण ढांचा तीन स्तरों पर कार्यरत है जिसमें राज्य स्तर पर हरको बैंक, जिसकी चण्डीगढ़ व पंचकूला में 13 शाखाएं व 2 विस्तार पटल है तथा जिला मुख्यालयों पर 19 जिला सहकारी बैंक कार्यरत हैं, जिनकी 584 शाखाएं हैं तथा 751 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जोकि अधिकतम हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। राज्य में बैंक स्वयं या अपने सदस्यों की तरफ से विभिन्न उच्च वित्तपोषण एजैन्सियां जैसे आर.बी.आई./नाबार्ड, राज्य सरकार, एन.सी.डी.सी. इत्यादि से जमा को जुटा कर, फंडस को बढ़ाकर/उधार लेकर अपने सदस्यों को कृषि, विपणन एवं प्रसंस्करण, उपभोग, निर्माण, व्यापार, भवन, परिवहन, वितरण एवं स्टॉकिंग इत्यादि उद्देश्यों के लिये ऋण उपलब्ध अपने जमाकर्ताओं की 57 वर्षों से सेवा में रहा है। नवम्बर, 1966 में एक संभ्रात शुरूआत से हरको बैंक एक मजबूत वित्तीय संस्थान के रूप में क्रेडिट योग्यता के साथ विकसित हुआ है। जनवरी, 2023 तक बैंक की कार्यशील पूंजी 11,162.20 करोड़ रूपये है (**तालिका 2.10**)। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पिछले 5 वर्षो के दौरान दिए गए अग्रिम ऋणों की फसलवार तुलनात्मक स्थिति **तालिका 2.11** में दी गई है।

रिवोल्विंग कैश क्रेडिट एवं डिपोजिट गारंटी स्कीम

2.33 किसानों के हितों के लिए मार्च, 2022 तक 11.70 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं तथा अपने किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने मार्च, 2022 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। किसानों की सभी प्रकार की गैर–कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिवोल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत 7 लाख रूपये तक की ऋण सुविधा निर्धारित की गई है। ग्रामीण निवासियों के हित के लिए 1 नवम्बर, 2005 से पैक्स के लिए जमा राशि गारन्टी योजना आरम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रूपये की राशि जमा करने पर बैंक अपने प्रत्येक सदस्य की गारन्टी देता है।

तालिका 2.10–हरको बैंक की वित्तीय स्थिति

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	1966–67	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	जनवरी, 2023
1	हिस्सा पूंजी	0.53	245.36	275.60	325.60	376.98	377.87
2	निजि कोष	0.82	949.84	1007.93	1144.76	1201.50	1235.49
3	अमानतें	1.16	2682.70	3632.82	3645.45	3824.67	4326.42
4	उधार राशि	0.47	4663.96	4382.39	4006.48	4674.04	5422.55
5	ऋण दिये	5.75	7313.05	9036.57	8384.11	7600.00	4180.31
6	बकाया ऋण	7.47	6748.65	6836.07	6334.95	7148.24	7165.09
7	लाभ/हानि	0.04	31.88	51.50	61.36	67.84	67.84
8	वसूली प्रतिशत	97.49	99.96	99.96	99.95	99.91	–
9	अतिदेय व ऋण अनुपात प्रतिशत	–	0.05	0.09	0.09	0.09	–
10	एन.पी.ए. प्रतिशत	–	0.05	0.09	0.09	0.09	–
11	कार्यशील पूंजी	8.60	8434.21	9159.86	8918.52	9847.28	11162.20

स्त्रोतः हरको बैंक।

तालिका 2.11– केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा फसलवार अग्रिम ऋण

(क) खरीफ फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2018	5121.00	271.30	5392.30	4978.87	245.00	5223.87
2019	5285.00	300.00	5585.00	4863.35	256.23	5184.58
2020	5619.19	323.11	5942.30	526.58	241.58	5468.16
2021	6189.67	365.42	6555.09	5860.85	239.55	6100.40
2022	6446.96	263.50	6710.46	6579.02	203.13	6782.15

(ख) रबी फसल (करोड़ रूपये में)

सीजन	लक्ष्य			उपलब्धियां		
	नकद	जिन्स	कुल	नकद	जिन्स	कुल
2018–19	5237.47	418.00	5655.47	5172.20	312.76	5484.96
2019–20	6723.86	406.61	7130.47	5326.77	332.51	5659.28
2020–21	6762.21	442.48	7204.69	5544.16	176.96	5721.12
2021–22	6930.20	419.46	7349.66	5663.64	131.83	5795.47
2022–23 (31–12–22)	7185.00	428.00	7613.00	4274.78	188.36	4463.14

स्त्रोतः हरको बैंक।

भारत सरकार की ब्याज राहत योजना

2.34 भारत सरकार द्वारा जिन किसानों ने अपने ऋण की निर्धारित तिथि या उससे पूर्व भुगतान किया और जिन किसानों ने फसली ऋण लिया है के लिए 3 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज में राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए 01–04–2009 से फसली ऋण की प्रभावी दर 4 प्रतिशत है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में समय पर अदायगी करने वाले लगभग 5.83 लाख किसानों को 230.70 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई।

ब्याज राहत योजना–2014

2.35 राज्य द्वारा 4 प्रतिशत की दर से 01–09–2014 से समय पर फसली ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को ब्याज में राहत प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त 3 प्रतिशत की ब्याज राहत भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। वर्ष 2021–22 के दौरान 5,25,784 किसानों को 128.90 करोड़ रूपये की ब्याज राहत प्रदान की गई। इस प्रकार समय पर अदायगी करने वाले किसानों के लिए फसली ऋण पर प्रभावी ब्याज 0 प्रतिशत (7 प्रतिशत–4 प्रतिशत–3 प्रतिशत) है। यह योजना अभी तक क्रियाशील है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

2.36 जिला सहकारी बैंकों द्वारा 'व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना' वर्ष 2009 से लागू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में कार्ड धारकों को मात्र 3.65 रूपये के अंशदान पर 50,000 रूपये तक का बीमा किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड धारक को मात्र 1.20 रूपये का अंशदान देना होगा तथा शेष 2.45 रूपये का अंशदान केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा वहन किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2022–23 के लिए भी लागू रहेगी।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन/भत्ते योजना

2.37 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा राज्य में जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पैंशन/भत्ते वितरित करने का कार्य सौंपा गया है। उक्त बैंकों की शाखाओं द्वारा अब तक 3.60 लाख पैंशनधारकों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं और लाभार्थियों को इन बैंकों के माध्यम से पैंशन वितरित की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में पैक्स के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी पैंशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य में सहकारी बैंकों ने सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों के मध्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.) तथा उपभोक्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाए

2.38 हरको बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंकों की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग समाधान लागू कर दिया गया है। कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत बैंक शाखायें अपने ग्राहकों को आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. व एस.एम.एस. एलर्ट और डी.बी.टी. सेवायें प्रदान कर रही हैं। हरको बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रूपे डेबिट कार्ड व किसान क्रेडिट कार्ड (ए.टी. एम. कार्ड) भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों में ए.टी.एम. मशीने स्थापित की गई हैं। जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सभी सक्रिय ऋणी सदस्यों को ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए रूपे किसान कार्ड भी दिये जा रहे हैं। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहकों को माइक्रो ए.टी.एम. की सुविधा भी दी जा रही है। राज्य के सभी 19 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स स्तर पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं। हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं तथा हरको बैंक में मोबाईल बैंकिंग सेवा प्रारम्भ कर दी गई है। हरको बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पैंशन योजना अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2022

2.39 हरियाणा राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के उन सदस्यों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से जो किन्ही कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं हैं और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में डिफाल्टर है, को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा अतिदेय ऋण की अदायगी हेतु एक मुश्त योजना लागू की गई थी। यह योजना 23–08–2022 से 30–11–2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत अतिदेय राशि 70.25 करोड़ रूपये की वसूली 14,454 सदस्यों से 30 नवम्बर, 2022 तक की गई।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको हेतु एक मुश्त अदायगी योजना–2022

2.40 यह योजना इस उद्देश्य से लागू की गई कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एन.पी.ए. को कम करना तथा ऐसे अतिदेय ऋणी सदस्यों को एक मुश्त अदायगी योजना का अवसर प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से अपने ऋण का बकाया चुकाने में सक्षम नहीं थे, इसलिए जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने तथा इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अतिदेय ऋणी सदस्यों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु योजना बनाई गई थी। यह योजना भी 04–04–2022 से 30–11–2022 तक प्रभावी थी। इस योजना के अन्तर्गत 2,176 ऋणी सदस्यों से 30 नवम्बर, 2022 तक 78.69 करोड रूपये की वसूली की गई।

कृषि अवसंरचना कोष (ए.आई.एफ.)

2.41 भारत सरकार ने किसानों और ग्रामीण आबादी के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना कोष (योजना) बनाई है। यह योजना 2020–21 से 2022–23 तक प्रभावी रहेगी इस योजना के ऋण जारी करने की समय अवधि 6 वर्ष है तथा योजना के पहले चरण में वर्ष 2020–21 में 4,000 करोड़ रूपये के ऋण जारी किये जायेंगे जिसमें 96,000 करोड़ रूपये की शेष राशि को 4 वर्षों में जारी किया जायेगा। वर्ष 2021–22 में 16,000 करोड़ रूपये तथा 20,000 करोड़ रूपये वर्ष 2022–23 से 2025–26 में प्रत्येक वर्ष जारी किये जायेंगे। ऋण अदायगी की समय सीमा अवधि 2 साल के मोरिटेरियम अवधि के साथ–साथ 7 वर्ष तय की गई है।

2.42 हरको बैंक की अग्रिम एवं मुख्य ऋण योजनायें इस प्रकार हैः

1. ग्रामीण दस्तकारों के लिए ऋण
2. उपभोक्ता ऋण
3. मध्यावधि ऋण योजना
4. फुटकर दुकानदारों इत्यादि के लिए ऋण

5. व्यक्तिगत ऋण, कार ऋण, गृह ऋण योजना इत्यादि
6. उद्यम ऋण योजना
7. छोटी सडक व पानी पहुंचाने वालों के लिए सहायता (एस.आर.डब्ल्यू.टी.ओ.)
8. कृषि आधारित योजनाओं को सहायता प्रदान करने की योजना
9. मार्जिन मनी के लिए सुलभ ऋण सहायता स्कीम
10. अन्य प्रकार की समितियों के लिए ऋण
11. ई–रिक्शा हरको बैंक ग्रीन राईड।

खजाना एवं लेखा

2.43 वर्तमान में राज्य में 24 जिला स्तरीय खजाने तथा 81 उप खजाने कार्य कर रहे हैं जो कि संचय निधि से सम्बंधित प्राप्तियाँ तथा अदायगियों के खाते तथा राज्य के सार्वजनिक लेखों का विवरण प्रत्येक मास में 2 बार प्रधान महालेखाकार हरियाणा को भेजते हैं। खजाना एवं लेखा विभाग अधीनस्थ लेखा सेवा (एस.ए.एस.) काडर का नोडल विभाग है तथा इसके अंतर्गत अनुभाग अधिकारी, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा मुख्य लेखा अधिकारी शामिल हैं। विभाग का लेखा प्रशिक्षण संस्थान पंचकूला समय–2 पर राज्य सरकार के विभागों, बोर्डो एवं निगमों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों के लगभग 9,700 आदान तथा वितरण अधिकारी खजाना विभाग के परामर्श से राज्य की संचयनिधि से निकासी व जमा का कार्य करते हैं। विभाग द्वारा विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

ऑनलाइन बजट आवंटन नियंत्रण तथा विश्लेषण प्रणाली (ओ.बी.ए.एम.ए.एस.)

2.44 यह सॉफ्टवेयर प्रणाली दिनांक 01–04–2010 से कार्यान्वित की गई है जो सफलता पूर्वक चल रही है। इसके अन्तर्गत बजट से सम्बंधित सभी कार्य जैसे कि बजट की तैयारी, आवंटन एवं वितरण आदि ऑनलाईन किए जा रहे हैं। अब सभी डी.डी.ओ/विभाग, वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही खर्चो का वहन कर सकते हैं। जिसकी वजह से व्यय को व्यवस्थित किया गया है।

ई–बिलिंग

2.45 ई–बिलिंग सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के बिलों को तैयार करने के लिए राज्य भर में कार्यान्वित किया गया है। बिलों को बनाने व खजाना में भेजने की प्रकिया पूर्णतया स्वचालित हो गई है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप डी.डी.ओ. एवं खजाना स्तर पर कार्यालयी कार्यों की कुशलता में सुधार हुआ है। इस प्रणाली से अक्टूबर, 2022 तक सभी डी.डी.ओ. द्वारा लगभग 10.53 लाख बिल तैयार किए गये। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए अब भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे तौर पर जमा किया जाता है। नकद व्यवहार निषेध किये गये हैं। सभी डी.डी.ओ. को ऑन लाईन ई–टी.डी.एस. रिर्टन चार्टड एकाउटेंट की मदद के बिना ई–बिलिंग प्रणाली के माध्यम से भरने की सुविधा प्रदान की है। प्रधान महालेखाकर (ए.एण्डई.) हरियाणा के अनुमोदन उपरान्त 13–08–2020 से राज्य में वेतन भुगतान के लिए कागज रहित वाउॅचर शुरू हो चुके है।

ई–ग्रास

2.46 राजकीय प्राप्ति प्रणाली (ई–ग्रास) सम्पूर्ण राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। विभागों द्वारा सभी प्रकार के ई–चालान सृजित किए जाते हैं तथा आम जनता इस इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली का इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार ने नामतः तीन बैंकों स्टैट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और आई.डी.बी.आई. बैंक के साथ पैमेंट एग्रीगेटर सेवा (पैमेंट गेटवे) लागू की है और प्रत्येक एग्रीगेटर के साथ लगभग 56 बैंको को संबद्ध किया गया है। राज्य सरकार ने ई–पेमेंट और ई–रिसिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई–कुबेर को इस्तेमाल करने

का भी निर्णय लिया है। इन दो प्रणालियों का एकीकरण प्रक्रियाधीन है।

ऑनलाईन खजाना सूचना प्रणाली (ओटिस)

2.47 सभी खजानों और उप–खजानों में 01–07–2013 से वैब ओटिस लागू किया गया और सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सभी तीनों हितधारकों नामतः खजानों/उप–खजानों, खजाना बैंक शाखाओं तथा प्रधान महालेखाकार कार्यालय का इस प्रणाली के साथ एकीकरण किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से खजानों के लेखों को स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है और एक महीने में दो बार प्रधान महालेखाकार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

ई–पोस्ट

2.48 विभिन्न विभागों द्वारा मांगे जाने वाले नये पदों जिसमें मौजूदा पदों के समर्पण को सम्मिलित करते हुए नए पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य भर में ई–पोस्ट स्वीकृति मॉडल लागू किया गया। सभी विभागों को इस प्रणाली के माध्यम से पदों के सृजन प्रस्ताव को भेजने की सुविधा दी गई है। सभी विभागों द्वारा अपने विभाग के पदों की संख्या को ई–पोस्ट में डाल दिया गया है।

ई–पैंशन

2.49 ई–पैंशन प्रणाली को 1–10–2012 से लागू किया गया है और यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। सभी पैंशन धारक जिनके पी. पी.ओ. 01–10–2012 के बाद प्राप्त हुए हैं, अपने सम्बंधित बैंक खातों में हर महीने की पहली तारीख को पैंशन वितरण शैल (पी.डी.सी.) द्वारा ई–पैंशन प्रणाली के प्रयोग से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 1.40 लाख पैंशनर, पैंशन वितरण शैल/खजानों/उप–खजानों से अपनी पैंशन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन प्रमाण पत्र (डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट) के प्रस्तुत करने के बाद अब पैंशनधारक वर्ष में एक बार नवम्बर माह में किसी भी खजाना/उप–खजाना में जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकृत करवा सकते हैं।

ई–स्टैंपिंग

2.50 हरियाणा में ई–स्टैंपिंग प्रणाली को दिनांक 01–03–2017 से लागू किया गया। इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी नागरिक 100 रूपये से अधिक कीमत का (गैर–न्यायिक) स्टाम्प पेपर तैयार कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 5,37,611 लाख रूपये के कुल 28,31,249 स्टाम्प पेपर जारी किये गये।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.)

2.51 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली वह साफ्टवेयर है जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों का पूरा डाटा यानि सेवा पुस्तिका, एसीआर, पदोन्नति ब्यौरा, छुट्टियों का ब्यौरा और स्थानातंरण इत्यादि के बारे मे सूचनाएं दर्ज की जाती हैं। यह प्रणाली जून, 2016 से लागू की गई है। इस प्रणाली को ई–सैलरी से जोड़ दिया गया है। अवकाश का अपडेशन तथा ए.सी.पी. के मामले भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जा रहे हैं। सरकार ने स्थानातंरण के मामलों को भी इस प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। अब सरकार द्वारा मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली को राज्य के बोर्डों/निगमों आदि में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.)

2.52 भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के बजट और व्यय के प्रवाह पर नियंत्रण रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना तथा निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। राज्य सरकार ने भी राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य परियोजना प्रबंधन ईकाई और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है। सरकार ने राज्य खजानों/उप–खजानों को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली से एकीकरण का कार्य सम्पूर्ण कर लिया है और भारत सरकार के साथ व्यय की भागीदारी की जा रही है व सभी हितधारकों के लिए लोक

वित्त प्रबंधन प्रणाली पर दर्शाया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2021–22 से राज्य द्वारा सिंगल नोडल एजैंसी/खाता (एस.एन.ए.) मॉडल शुरू किया जा चुका है।

आबकारी व कराधान

2.53 आबकारी व कराधान विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व सृजन विभाग है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम राज्य में 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में हरियाणा राज्य देशभर में अग्रणी है। वस्तु एवं सेवा कर के राष्ट्रीय समग्र संग्रहण में हरियाणा का योगदान लगभग 6 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान राज्य का कुल वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण 35,389.63 करोड़ रूपये (मुआवजा उपकर सहित) किया है और वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2021–22 तक वस्तु एवं सेवा कर के कुल संग्रहण में 17.42 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर हासिल की है। राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022–23 (31 जनवरी, 2023 तक) में कुल 27,876 करोड़ रूपये का वस्तु एवं सेवा कर एकीकृत किया जोकि वित्तीय वर्ष 2021–22 की इसी अवधि के दौरान एकत्रित 9,592.91 करोड़ रूपये वस्तु एवं सेवा कर की तुलना में 26 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। राज्य का वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण का वर्षवार विवरण **तालिका 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.12– राज्य में वस्तु एवं सेवा कर की वर्षवार संग्रहण स्थिति

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	एस.जी.एस.टी. का नकद संग्रह	प्रोविजनल आई.जी.एस.टी. सैटेलमेंट	ऍडाक आई.जी.एस.टी.	शुद्व एस.जी.एस.टी. संग्रहण	एस.जी.एस.टी. मुआवजा उपकर	मुआवजा उपकर ऋण के रूप में	जी.एस.टी. के तहत राज्य का कुल संग्रहण
2017–18	8537.13	1641.63	667.00	10845.76	1199.00	0.00	12044.76
2018–19	12689.55	3876.65	2476.10	19042.30	2820.00	0.00	21862.30
2019–20	13921.97	4933.34	627.93	19483.24	5453.43	0.00	24936.67
2020–21	11959.24	6117.18	3013.15	21089.57	5065.82	4352.01	30507.40
2021–22	15115.60	8470.54	1501.02	25087.16	2908.68	7393.79	35389.63
2022–23 (31–01–2023 तक)	14981.39	10016.39	931.00	25928.78	1947.22	0.00	27876.00

स्त्रोतः आबकारी व कराधान विभाग, हरियाणा।

मॉडल–II प्रणाली में परिवर्तन

2.54 राज्य ने हाल ही में 1 जुलाई, 2021 को वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन के लिए मॉडल–I मोड से मॉडल–II मोड को लागू कर दिया है। नई प्रणाली में परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी अधिकारी अब जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित बी.ओ.–वैब पोर्टल पर काम कर रहे है। वस्तु एवं सेवा कर के इस मॉडल–II मोड के माध्यम से अब अधिकारियों को कई नई कार्यात्मकता उपलब्ध करवाई गई है और आवेदनों की प्राप्ति और प्रसंस्करण के मध्य लगने वाले समय अन्तराल को भी समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जी.एस.टी.एन. से डेटा सीधे इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली प्रभावी निगरानी के लिए डी.ई.टी.सी., जे.ई.टी. सी.एस. इत्यादि के पास उपलब्ध एम.आई.एस. रिपोर्ट के साथ अधिक पारदर्शी है। उपरोक्त के अतिरिक्त करदाता एवं अधिकारियों की क्यूरिज के लिए जी.एस.टी.एन. द्वारा प्रबन्धित एक राष्ट्रीय काल सेंन्टर की भी उपलब्धता है।

जी.एस.टी. इंटेलिजेंस, ऑडिट और स्कूटिनी मैनुअल

2.55 बिना बिल के माल/सेवाओं की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने 23–03–2021 को हरियाणा राज्य जी.एस.टी. इंटेलिजेंस यूनिट (एच.एस.जी.एस.टी.–आई.यू.) की स्थापना की। एच.एस.जी.एस.टी.–आई.यू. ने कुल 741 मामले सौंपे हैं और 31–12–2022 तक नकद और आई.टी.सी. सहित 357.94 करोड़ रूपये की राशि बसूल की गई है। हाल ही में विभाग ने करदाताओं के आडिट के लिए राज्य में जी.एस.टी. आडिट शुरू किया है। विभाग ने 10–05–2022 को हरियाणा जी.एस.टी. स्कूटिनी मैनुअल लागू किया है,

जिसमें जी.एस.टी. रिटर्न की जांच के लिए अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रकिया शामिल है। यह मैनुअल जी.एस.टी. रिटर्न की जांच के लिए किसी भी राज्य द्वारा जारी किये गये सबसे व्यापक स्कूटिनी मैनुअल में से एक है।

हरियाणा जी.एस.टी. कोष

2.56 विभाग ने 08–02–2022 को करदाताओं, कर पेशेवरों एवं केन्द्र व राज्य के कर अधिकारियों से व्यापक प्रतिकिया प्राप्त करने के बाद हरियाणा जी.एस.टी. कोष लागू किया है जो जी.एस.टी. अधिनियम और नियमों का एक ई–भण्डार है। यह एकमात्र पोर्टल है जो अधिनियम के विभिन्न वर्गों को नियमों और प्रपत्रों की मैपिंग प्रदान करता है।

टी.आई.ओ.एल. अवार्ड

2.57 हरियाणा को टी.आई.ओ.एल. नालेज फाउडेशन द्वारा सुधारवादी राज्य श्रेणी के तहत वर्ष 2022 के लिए स्वर्ण श्रेणी पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए रजत श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

आबकारी राजस्व

2.58 आबकारी राजस्व का संग्रहणः (1) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, (2) औषधीय एवं शौचालय की तैयारी (आबकारी शुल्क) अधिनियम, 1955 (31–03–2017 तक), (3) द नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सबसटैंस अधिनियम, 1985 (31–03–2017 तक), (4) पंजाब शराब आयात परिवहन और कब्जे आदेश 1932 (01–04–2017 से), (5) पंजाब शराब, परमिट एवं पास अधिनियम, 1932 (01–04–2017 से) के तहत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आबकारी राजस्व का कुल लक्ष्य 9,200 करोड़ था जिसमें से 8,501 करोड़ रूपये की वसूली हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आबकारी राजस्व संग्रहण का संशोधित कुल लक्ष्य 9,700 करोड़ रूपये है जिसमें से 31–01–2023 तक 8,170 करोड़ रूपये वसूल किये गये हैं जो कुल संग्रहण का 85 प्रतिशत है।

2.59 विभाग ने सभी डिस्टलरीज/ बोटलिंग प्लांट और ब्रेवरीज में सी.सी.टी.वी. लगाने की बडी पहल की है जो आबकारी एवं कराधान आयुक्त के कार्यालय से सीधे जुडे सभी डिस्टलरीज की रीयल टाईम फूटेज 24X7 सकिय रहेंगी और डिस्टलरीज में फलो मीटर लगाने की प्रकिया चल रही है जो निर्मित एल्कोहल की वास्तविक मात्रा को मापेगा जिसे बहुत जल्द पूरा कर लिया जायेगा। राज्य के लिए लाइसैंस शुल्क में 329 करोड़ (2,163 करोड़ से 2,492 करोड़) की वृद्वि हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में लाईसैंस शुल्क में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्वि को दर्शाता है।

बिक्री कर

2.60 सरकार ने दिनांक 04–11–2021 से डीजल और पैट्रोल पर वैट की दर क्रमशः 16.40 प्रतिशत से घटाकर 16 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से 18.20 प्रतिशत कर दी है। सरकार ने क्षेत्रीय संयोजन योजना को बढावा देने के लिए 23–11–2021 को एवियेशन ट्रबाईन फ्यूल पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी है।

कम्प्यूट्रीकरण

2.61 भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गर्वनैंस योजना के तहत विभाग का चयन वाणिज्यिक करों के लिए मिशन मोड परियोजना के माध्यम से विभागीय गतिविधियों के व्यापक कम्प्यूट्रीकरण के लिए किया गया था। परियोजना का उद्धेश्य शासन के लिए एक नागरिक केन्द्रित पारदर्शी वातावरण बनाना है। मैसर्ज अर्न्स्ट एवं यंग एल.एल.पी. को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्ज विप्रो लि. को स्सिटम इन्टीग्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से विभाग की सभी प्रमुख गतिविधियों को कम्प्यूट्रीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से आबकारी दुकानों की आन–लाईन टेंडरिंग शुरू कर दी गई है। राज्य में शराब की दुकानों का आबंटन आन–लाईन ई–टेडरिंग के माध्यम से किया जाता है। आबकारी के लिए सभी परमिट और पास आन–लाईन जारी किये जाते है। राज्य में कठिनाई रहित व्यापार के लिए पंजीकरण, करों का भुगतान, रिटर्न फाईलिंग और रिफंड को आन–लाईन कर दिया गया है।

वित्तीय समावेश स्कीमें

2.62 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वर्तमान जटिल भुगतान प्रकिया को सुलभ करने हेतू आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए 1 जनवरी, 2013 से भारत सरकार का उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। डी.बी.टी. दिए जाने वाले लाभों को सही लोगों तक उचित समय पर पहुँचाना सुनिश्चित करने का एक अच्छा प्रयास है। डी.बी.टी. में दिए जाने वाले सरकारी लाभ जैसे कोई भुगतान, ईंधन अनुदान, खाद्यान अनुदान इत्यादि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाने, त्वरित भुगतान करने, लाभों का रिसाव रोकने तथा वित्तीय समावेश को बढ़ाने का एक सहरानीय कदम है। डी.बी.टी. की सीधे और समयबद्ध हस्तांतरण प्रणाली सरकार को आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत बैंक खातों में लाभ पहुँचाने के लिए सक्षम करती है। आधार नम्बर या बायोमैट्रीक इनपुट अपने आप में अनूठा है जो सरकार के डाटा बेस में डुप्लीकेट/फर्जी लाभार्थियों को रोकता है। राज्य डी.बी.टी. पोर्टल सितम्बर, 2017 से कार्यरत है। राज्य के विभागों द्वारा राज्य और केन्द्र प्रायोजित (हिस्सा आधारित) योजनाओं के लाभार्थियों एवं उनसे सम्बन्धित लेनदेन के डाटा को डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। 30–11–2022 तक, 142 राज्य/केन्द्र प्रायोजित योजनाएं राज्य डी.बी.टी. पोर्टल पर अपलोड की गई हैं इन 142 योजनाओं में से 84 राज्य योजनाएं और 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक 3,50,20,468 लेन देन के माध्यम से कुल 1,39,76,423 लाभार्थी लाभान्वित हुए और कुल 8437.91 करोड़ रूपये हस्तांतरित किये गये हैं।

स्टैंड अप इंडिया

2.63 यह योजना अप्रैल, 2016 से शुरू की गई है। इस योजना का उद्धेश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और महिला उद्यमियों को उद्यम स्थापना के लिये ऋण लेने और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए समय–समय पर मिलने वाली अन्य आवश्यक सहायता को प्राप्त करने में सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर आधारित है। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक बैंक की हर शाखा द्वारा कम से कम एक ऋण 10 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये तक प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थी को दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत 01–04–2022 से 30–09–2022 तक राज्य में 300 उद्यमियों (123 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और 177 महिलाओं) के लिए 61.83 करोड़ रूपये के ऋण मंजूर किये गये।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

2.64 इस योजना को 28 अगस्त, 2014 को शुरू किया गया था। राज्य में सितम्बर, 2022 तक 88.83 लाख बैंक खाते खोले गए और 71.71 लाख रूपे कार्ड जारी किए गए हैं जो खोले गए कुल खातों का 81 प्रतिशत है (**तालिका 2.14**)।

तालिका 2.14–पी.एम.जे.डी.वाई. के तहत खोले गए खाते, आधार सिडींग और जारी किए गए रूपे कार्ड

विवरण	30–09–2022 तक
खोले गए बैंक खाते	8882958
आधार सिडींग	7904160
जारी किए गए रूपे कार्ड	7171493

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2.65 सूक्ष्म इकाई एवं विकास पुर्नवित एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के छोटे सूक्ष्म उद्यमों को उधार देने के कारोबार में लगे हुए वित्तीय मध्यस्थों जैसे बैंक, एन.बी.एफ.सी. और एम.एफ.आई. इत्यादि को विकसित और पुर्नवित प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 8 अप्रैल, 2015 को एक नई वित्तीय इकाई के रूप मे शुरू की गई है। उसी दिन जिन उद्यमों के पास कोषों की कमी है उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने और सस्ती दर पर ऋण देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना "फंड दा अनफन्डीड" लागू की गई। यह महसूस किया गया कि बहुत सी ऐसी इकाईयाँ जो वर्तमान में औपचारिक ऋण से

बाहर हैं उनको मिशन मोड पर बैंक वित्त के लिए एक विशेष बढ़ावा देने की जरूरत है। यह खण्ड मुख्य रूप से उन विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं में लगे हुए गैर कृषि उद्योगों के लिए है जिनकी ऋण आवश्यकताएँ 10 लाख रूपये से कम है। मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरूण में वर्गीकृत किया गया है। मुद्रा योजना प्रभाव होगा कि ऋण का कम से कम 60 प्रतिशत राशि शिशु वर्ग इकाईयों में तथा बाकी राशि किशोर व तरूण वर्ग की इकाईयों को जाएगी। राज्य में मुद्रा ऋण की प्रगति **तालिका 2.15** में दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2.66 यह स्कीम एक साल के लिए है जिसे साल दर साल नवीनीकरण करवाना होता है। दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु और दुर्घटना की वजह से हुई विकलांगता के लिए 2 लाख रूपये बीमा की पेशकश करती है। यह स्कीम 9 मई, 2015 को शुरू हुई जो सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कम्पनियों व अन्य सामान्य कम्पनियों के माध्यम से प्रस्तावित/प्रशासित की जा रही है। 18 से 70 वर्ष आयु समूह के सभी बचत बैंक खाताधारक अपने आप को साल दर साल नवीनीकरण आधारित 12 रूपये वार्षिक प्रीमियम की बजाय 20 रूपये वार्षिक प्रीमियम से इस स्कीम में सम्मिलित कर सकते हैं। 31–03–2022 तक बैंकों द्वारा 52,00,822 व्यक्तियों को इस स्कीम में शामिल किया गया है और 30–09–2022 तक यह संख्या बढ़कर 56,88,719 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 30–09–2022 तक 10,067 लाख रूपये के कुल 5,044 दर्ज दावों में से 8,015 लाख रूपये के 4,017 दावों का भुगतान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2.67 यह स्कीम 1 जून, 2015 से लागू हुई है। इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम/अन्य बीमा कम्पनियां जो समान शर्तों पर आवश्यक अनुमोदन के साथ तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ टाईअप कर लिया है के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु के सभी बचत खाता धारक 330 रूपये वार्षिक प्रीमियम की बजाय 436 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर अपने आप को इस योजना के लाभ उठाने के लिए नामांकन करवा सकते हैं। इस स्कीम के तहत, इसके प्रत्येक सदस्य को किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर यह 2 लाख रूपये भुगतान किए जाएंगें। 31–03–2022 तक बैंकों ने 19,38,870 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत दर्ज किया है और 30–09–2022 तक यह संख्या बढ़कर 21,82,860 हो गई है।

अटल पैंशन योजना (ए.पी.वाई.)

2.68 गरीब मजदूरों की बुढ़ापा आय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्हें अपनी सेवानिवृति तक बचत करने में सक्षम बनाने व इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को स्वैच्छा से दीर्घावधि जोखिम को कम करने व सेवानिवृति पर स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2015 से अटल पैंशन योजना लागू की गई है। सभी बैंक खाता धारक जो भारत के नागरिक हैं और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है वे अटल पैंशन योजना में सम्मिलित हो सकते हैं और सदस्यता के भुगतान पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। अटल पैंशन योजना के तहत 1,000 रूपये से 5,000 रूपये तक मासिक पैंशन की गारंटी ग्राहकों को उनके भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम व स्कीम में प्रवेश की आयु पर निर्भर करती है। यदि ग्राहक 18 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये के बीच में मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए प्रतिमास 42 रूपये से 210 रूपये तक मासिक प्रीमियम अदा करना होगा। इसी प्रकार 40 वर्ष की आयु में योजना में शामिल होता है तो 1,000 रूपये से 5,000 रूपये मासिक पैंशन प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने वाला प्रीमियम 291 रूपये से 1,454 रूपये के बीच रहेगा। 31–3–2022 तक बैंकों ने 8,13,417 व्यक्तियों को इस स्कीम के तहत शामिल किया है जो 30–09–2022 तक बढ़कर 9,33,331 हो गई है।

तालिका 2.15– पी.एम.एम.वाई. के तहत खातों की संख्या व जारी की गई राशि

योजना	ऋण सीमा रूपये में	01–04–2022 से 30–09–2022 तक	
		खातों की कुलसंख्या	जारी की गई राशि (लाख रूपयें)
शिशु	50000 तक	125863	36483.53
किशोर	50001–500000	53188	84774.02
तरूण	500001–1000000	11500	76571.54
कुल		**190551**	**197830.00**

स्त्रोतः वित्त विभाग, हरियाणा।

स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एस.जे.एच.आई.एफ.एम.)

2.69 हरियाणा राज्य स्तर पर ऑउटपुट– ऑउटकम फ्रेमवर्क को अपनाने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान अपनी स्थापना के प्रथम चरण से ही खुले और पारदर्शी ऑउटपुट–ऑउटकम फ्रेमवर्क को लागू करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना रहा है जिससे केवल कल्याणकारी व्यय के लिए लेखाकंन की बजाये नागरिक कल्याण सुनिश्चित किया जाएं।

2.70 स्वर्ण जंयती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान राज्य की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को मुख्य धारा में लाने और 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर परिव्यय के साथ–साथ संरचित सैमिनारों/ कार्यशालाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमताओं को उन्नत करने में सभी विभागों और हितधारकों की मदद कर रहा है। यह बजट आंबटन रिपोर्ट, राज्य संकेतक ढांचें की तैयारी, जिला संकेतक ढांचे, एस.डी.जी. जिला सूचकांक जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है।

2.71 राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के कार्यान्वयन के लिए नवीवनतम संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सी.आर.आई.डी.) द्वारा प्रदान किये गये आय के सत्यापित डाटा का उपयोग लाभों के वितरण के लिए किया जा रहा है। पात्र लाभार्थी 6,000 की बीमा राशि से केंद्र सरकार की 5 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ पाने के हकदार होंगे, जिसका उपयोग उक्त सभी योजनाओं के प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। लाभार्थियों द्वारा स्कीम में नांमाकित होने के उपरान्त विभिन्न योजनाओं के प्रीमीयम की प्रतिपूर्ति की जाएगी और बाद में देय प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उक्त एस.ओ.पी. के अनुसार राज्य सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, के 2,82,439 लाभार्थियों को 3.53 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के 26,079 लाभार्थियों को 2.56 करोड़ रूपये के प्रीमीयम का भुगतान किया है।

आंकाक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम

2.72 इस कार्यक्रम की घोषणा नीति आयोग द्वारा जनवरी, 2018 में की गई थी जिसका उद्देश्य मुलभूत सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, जीवन स्तर में सुधार आदि के लिए भारत के 115 पिछड़े जिलों (भारत की कुल आबादी का लगभग 12 प्रतिशत) को तेजी से बदलना और उनका उत्थान करना है। हरियाणा राज्य का नूँह (मेवात) जिला इन आंकाक्षी जिलों में से एक है।

इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं बुनियादी ढ़ाँचे से संबंधित 6 प्राथमिक क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मार्च, 2018 में जारी बेसलाईन रैंकिंग के अनुसार भारत के इन आंकाक्षी जिलों में हरियाणा नूँह (मेवात) जिला सबसे निचले स्थान पर था। नूँह (मेवात) जिले में जनवरी, 2019 में समग्र रैंक तीसरा और वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में पहला रैंक हासिल किया। दिसम्बर, 2021 में नूँह ने समग्र चौथा रैंक और बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में पहला रैंक हासिल किया। हाल ही में दिसम्बर, 2022 में जिला नूंह (मेवात) ने लाईफ टाईम उच्चतम प्रथम ओवरऑल रैंक की है तथा स्वास्थ्य और पोषण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

2.73 नूँह (मेवात) जिले में मार्च, 2018 से समग्र रूप में 27 प्रतिशत और स्वास्थ्य और पोषण में 19 प्रतिशत, कृषि एवं जल संसाधन में 15 प्रतिशत, शिक्षा में 45 प्रतिशत वित्तीय समावेशन में 34 प्रतिशत, कौशल विकास एवं मूलभूत बुनियादी ढ़ाँचें में 19 प्रतिशत का उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

2.74 नीति आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएंः

- नीति आयोग ने मेवात जिले को 2019 में वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में प्रथत रैंक और जनवरी, 2020 में मुलभूत बुनियादे ढ़ाँचें में अच्छा रैंक हासिल करने उपरांत 4.51 करोड़ रूपये की राशि जून, 2021 में स्वस्थ मेवात के तहत आँगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं को बढ़ाने और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए तथा 1.49 करोड़ रूपये खुशहाल मेवात के तहत उपकेन्द्रों में बिजली और चिकित्सा के बुनियादी ढ़ाँचें को मजबूत करने हेतु स्वीकृत किये गये।
- जिला नूँह (मेवात) को नीति आयोग ने जून, 2021 में कौशल विकास के तहत भारतीय सेना में भर्ती हाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए 25.90 लाख रूपये और फरवरी, 2021 में शिक्षा क्षेत्र में अच्छा रैंक हासिल करने के लिए शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के लिए 2.74 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई।
- जिला नूँह (मेवात) ने दिसम्बर, 2021 फरवरी, 2022 तथा मार्च, 2022 में चौथी, नौंवीं और तीसरी रैंक हासिल करने के लिए भारत सरकार से क्रमशः 2 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आंबटन प्राप्त करने का पात्र हो गया था।

***